न्यायालय अर्न्तगत अनुमंडल पदाधिकारी,राजमहल

अनुसूचि 14 फार्म सं0–162

गुलो पहाडिया
बनाम
16 आना रैयत
मौजा–बड़ा परते न0 03P

आदेश–फलक

देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक तारिख...जिला–साहेबगंज

केस के प्रकार–धारा – प्रधान बहाली वाद संख्या 77/2019–20

आदेशकी क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3
17.8.19	अंचल अधिकारी, तालझारी के पत्रांक 567/रा0 दिनांक 16.08.2019 के द्वारा मौजा– बड़ा परते न0 03P के रिक्त ग्राम प्रधान के पद पर प्रधान बहाली हेतु जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। मौजा के 16 आना रैयतो से अनापत्ति आमंत्रित हेतु विधिवत् नोटिस निर्गत किया गया। अवलोकन किया। अंचल अधिकारी, तालझारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि मौजा– बड़ा परते न0 03P एक बेचिरागी व प्रधानी मौजा है। इस मौजा के रैयत आस–पास के ग्रामों में निवास करते है। जिसमें प्रधानी पद रिक्त है। मौजा दरकल्ला न0 09P के बहाल प्रधान श्री गुलो पहाडिया पिता स्व0 झरना पहाडिया, ग्राम– दरकल्ला पहाड के साथ उक्त मौजा बड़ा परते न0 03P, का प्रधानी कार्य सुचारु रुप से संचालन हेतु समायोजित किया जा सकता है। अतएव अंचल अधिकारी, तालझारी के जाँच प्रतिवेदन एवं मौजा के 16 आना रैयतों के आपत्ति के अभाव में एवं कार्यहित तथा जनहित मौजा बडा परते न0 03P के लगान इत्यादि वसूली एवं अन्य ग्राम प्रधान संबंधी कार्यो के निष्पादन हेतु मौजा दरकल्ला न0 09P के बहाल प्रधान श्री गुलो पहाडिया पिता–स्व0 झरना पहाडिया, सा0–दरकल्ला पहाड, थाना–तालझारी को अपने कार्यो के अतिरिक्त मौजा– बडा परते न0 03P, में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 05 के अन्तर्गत प्रधान के पद पर नियुक्त किया जाता है। कबुलियत दाखिल करें। तत्पश्चात पट्टा निर्गत किया जायेगा। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, तालझारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें। लेखापित एवं संशोधित। अनुमंडल पदाधिकारी राजमहल। अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल।	ज्ञापांक 414/अ0 दिनांक 31.8.19

Scanned with CamScanner